हर महिला का अधिकार – हिंसा मुक्त घर परिवार

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु

26 अक्टूबर 2006 को हमारे देश में ऐसा पहला दीवानी (सिविल) कानून लागू हुआ है, जो महिला को घर में बिना हिंसा सहे रहने का अधिकार देता है। इस कानून का नाम है "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005" यह पहला ऐसा कानून है जो घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा देता है।

घरेलू हिंसा क्या है -

इस कानून के अनुसार किसी महिला के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अंग, मानसिक या शारीरिक स्थिति को उसके परिवार, नातेदार या रिश्तेदार द्वारा किसी प्रकार की हानि पहुँचाना, घरेलू हिंसा है। इसमें दहेज, संपत्ति या मूल्यवान वस्तुएं/कागजात की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए, महिला या उससे सम्बंधित किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की भावना से या धमकाकर उस महिला को परेशान करना, उत्पीड़ित करना, उसको अपहानि या क्षति पहुँचाना या फिर उसके लिए मुश्किल परिस्थिति पैदा करना भी शामिल है।

पीड़ित कौन -

मॉं, बहन, बेटी, बहू, भाभी, पत्नी, दूसरी पत्नी या कोई विवाह समान रिश्ते में रहने वाली महिला या कोई अन्य महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं लड़कियाँ) जो आरोपी के साथ घरेलू नातेदारी में रह रही हो या रह चुकी हो।

इस कानून के तहत निम्नलिखित राहतें/सहायता मिल सकती हैं -

1. संरक्षण आदेश - हिंसा कर्ता पर रोक लगाई जायेगी कि वह महिला पर किसी भी प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार न करें। महिला चाहे घर में हो या कार्यस्थल पर, उससे किसी भी माध्यम से सम्पर्क न करने का आदेश।
2. निवास आदेश - महिला को साझे घर में रहने का अधिकार है चाहे वह किराये का ही हो। गंभीर परिस्थिति में हिंसा कर्ता को साझे घर से हटने का आदेश भी मिल सकता है।
3. अभिरक्षा आदेश - यदि माँ चाहे तो बच्चों को अस्थाई रूप से अपने पास रखने का आदेश ले सकती है।
4. मुआवजे का आदेश - घरेलू हिंसा के द्वारा पीड़ित महिला को होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कष्ट की भरपाई के लिए आरोपी को मुआवजा देने का आदेश दिया जा सकता है।
5. आर्थिक सहायता का आदेश - महिला की आय में होने वाले नुकसान, महिला और बच्चें की दवा के खर्चे, सम्पत्ति में हानि की भरपाई व प्रतिमाह खर्चे का आदेश मिल सकता है।

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला किससे मदद ले सकती है -

- निकटतम संरक्षण अधिकारी
- मजिस्ट्रेट
- पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था
- ऐसी संस्था जो महिला अधिकारों पर काम कर रही हो
- पुलिस

घरेलू हिंसा रोकिए, चुप्पी तोड़िए

अब तो जागो!

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु

अभियान के साथी

मैसवा उ0प्र0, भारतीय महिला फेडरेशन उ0प्र0, परिवर्तन में युवा उ0प्र0, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच उ0प्र0, हेल्थवॉच फोरम उ0प्र0, हमसफर लखनऊ, साझी दुनिया लखनऊ, आक्सफेम इण्डिया लखनऊ व अन्य।

राज्य हेल्पालाईन : 0522- 2205215 स्थानीय हेल्पलाईन :

अभियान सचिवालय : ए–240, इन्दिरा नगर, लखनऊ, फोन – 0522–2310860, 2310747, फैक्स – 2341319

हर महिला का अधिकार – हिंसा मुक्त घर परिवार

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु

नहीं, यह कानून पुरूषों के खिलाफ़ नहीं है

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून 2005 के लागू हुए दो साल बीत गये हैं, लेकिन अभी तक इस कानून के सही क्रियान्वयन के लिए मूलभूत ढाँचे का विकास नही हो पाया है। इस कानून के लागू होने के दौरान जिस प्रकार से इस कानून को पुरूषों के खिलाफ स्थापित करने की कोशिश की गई वह आज भी जारी है। देश व प्रदेश के अनेक स्थानों पर पुरूषों द्वारा इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन व रैलिया आयोजित की गई तथा यह स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि यह कानून पुरूषों के खिलाफ है तथा इसका दुरूपयोग हो रहा है।

दूसरी ओर इस कानून की जितनी चर्चा इसके सकारात्मक पहलू और इसकी सार्थकता पर हो रही है, उससे कहीं ज्यादा इस कानून के विरोध में और इसकी निरर्थकता को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तरह-तरह की बातें इस कानून के लिए बारे में कहीं जा रही है, इसके औचित्य पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं। आखिर क्यों समाज विशेषकर पुरूष इससे डरा हुआ है, क्यों इसका विरोध है?दबे पांव राजनैतिक लोग, मीडिया व समाज के प्रबुद्ध वर्ग भी अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं।

महिला व बाल विकास केन्द्रिय मंत्री रेणुका चौधरी ने इस कानून पर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा कि “इस कानून से पुरूषों में डर पैदा हुआ है तो मान लीजिए कानून सफल हो गया।” इस कथन का सामाजशास्त्रीय विश्लेषण यह कहता है कि कानून पितृसत्तात्मक रूपी पूरे ढ़ाँचे पर वार करता है, इस ढ़ाँचे में जहाँ अभी तक पुरूष अपने पुरूष होने तथा महिला का महिला होने के नाते उस पर अपनी रोब जमा रहा था, उसे चोट पहुंच रही है। इस कानून से पुरूष के पौरूषत्व के अहम पर चोट पहुंच रही है। यह पुरूष को नुकसान नहीं अपितु पुरूष के पौरूषत्व पर हमला कर रहा है। जिससे पुरूष डरे हैं कि कहीं उन्हें पितृसत्ता के रूप में जो सत्ता मिली है, वह चली न जाये। यहाँ पर इसके स्वर इसलिए तीव्र और ज्यादा है क्योंकि यह कानून पितृसत्तात्मक ढ़ाँचें पर वार कर रहा है। पुरूष अपने तथाकथित अधिकारों पर वैधानिक रोक लगाने से डर रहे हैं।

यहाँ पर इस कानून को लेकर उठे सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है। जिसमें पहला सवाल यह कानून घरफोड़ू है - वह महिला, जो जिन्दगी भर कई छोटे बड़े अवसरों पर महिला होने के नाते उपेक्षित व प्रताड़ित होती है, और उसके बावजूद पारिवारिक इज्जत को ढोती है, क्या महिला को प्रताड़ना के विरूद्ध स्वर उठाने का अधिकार भी नहीं? तो क्या ऐसी स्थिति में घर को बनाये रखने की जिम्मेदारी महिला की है? क्या घर में शांति बनाये रखने के लिए उसे अपने उपर हो रहे सारे जुर्म को बिना आह किये चुप रहना चाहिए?

दूसरा सवाल यह कानून पुरूषों के खिलाफ़ है -यह कानून पुरूषों के खिलाफ़ नहीं है, ये कानून हिंसा के

खिलाफ़ है। ये कानून सिविल कानून है, अगर घरेलू हिंसा की शिकायत की जाती है, तो उसमें पहले पुरूष को चेताया जायेगा और महिला को सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी। पुरूष के खिलाफ़ तभी दण्डात्मक कार्यवाही होगी जब वह न्यायालय के आदेश की अवहेलना करता है। जो अभी तक कानून को पुरूष के खिलाफ़ होने की बात कही जा रही थी, असल में यह पुरूष के पौरूषत्व या कहें उसके पुरूष होने के "अहम" पर अंकुश लगाती है, जिसमें अब वह महिला को भोग या चीज न समझ कर महिला को एक मानव होने का अहसास दिलाती है।

तीसरा सवाल इस कानून का दुरूप्रयोग होगा - दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके दो पहलू न हो। जिन्दगी में खुशी है तो गम भी है। इसी तरह हर कानून के साथ है, लेकिन उस काननू को इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता है कि इसको गलत इस्तेमाल होगा। उसकी जरूरत, उसकी महत्ता और उस कानून से लाभान्वित होने वाले समाज या वर्ग को देखना पड़ेगा। यह भी अक्सर कहा जाता है कि जेलों में दोषियों से ज्यादा निर्दोष लोग बंद पड़े हैं। इसका यह मतलब नहीं कि सारे कानून को नकार दिया जाये और कानून का गलत व सही इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं।

अभियान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के लागू हुए दो साल हो गया है, पर अभी भी यह कानून कागजी कानून बन कर रह गया है। जिसके पीछे तमाम सामाजिक बाधाओं व सरकार की निष्क्रियता स्पष्ट नज़र आती है। इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उ0प्र0 के विभिन्न संगठनों, महिला संगठनों व व्यक्तियों ने राज्य स्तरीय अभियान "अब तो जागो" शुरू किया है।

हमें यकीन है कि आप सभी इस कानून को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करके महिलाओं व नाबालिग बच्चों की जिन्दगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभायेंगे। आईये इस अभियान का हिस्सा बनकर एक हिंसा रहित खुशहाल परिवार व समाज को बनाने में सहयोग करें। एक ऐसा परिवार जहाँ हर कोई स्वस्थ्य व हिंसा रहित जीवन जी सके।

दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना-बाना बदलेगा।
तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब ही तो जमाना बदलेगा।।

अब तो जागो!

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु

अभियान के साथी

मैसवा उ0प्र0, भारतीय महिला फेडरेशन उ0प्र0, परिवर्तन में युवा उ0प्र0, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच उ0प्र0, हेल्थवॉच फोरम उ0प्र0, हमसफर लखनऊ, साझी दुनिया लखनऊ, आक्सफेम इण्डिया लखनऊ व अन्य।

राज्य हेल्पालाईन : 0522- 2205215   स्थानीय हेल्पलाईन :

अभियान सचिवालय : ए-240, इन्दिरा नगर, लखनऊ, फोन - 0522-2310860, 2310747, फैक्स - 2341319